न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–19/2016 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2016/00039

उनवान

1. कमल सिंह पुत्र भवानी सिंह } जाति कुशवाह नि0 ग्राम बूचा का पुरा तह0 व जिला
2. रामरती पत्नी कमल सिंह } धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र नत्थीलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम बूचा का पुरा तहसील व जिला धौलपुर।
2. रामवेटी पुत्री नत्थीलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम खवासपुरा, खेरिया मोड आगरा (उ0प्र0)
3. रतनदेई पत्नी महाराज जाति कुशवाह निवासी ग्राम नगला पूंठ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

लेखराज पुत्र पूरन सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बूचा का पुरा तहसील व जिला धौलपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 16.06.2015 उनवानी ताराचन्द बनाम कमल सिंह प्र0स0 89/2014

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 हरवीर सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–23.11.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

… न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बूचा का पुरा तहसील धौलपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 113, 119, 122, 124, 49, 33, 50, 101, 42, 112, 121, 120, 110, 123 में से गैर सायलान अपीलाण्ट का कोई संबंध सारोकार नहीं है। गैर सायलान अपीलाण्ट खसरा नम्बर 113 पर जबरन कब्जा कर निर्माण करना चाहते हैं। अतः गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिये बिना ही राजस्व लोक अदालत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये गैर सायलान अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट को राजस्व लोक अदालत की कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी एवं ना ही अपीलाण्ट न्याय आपके द्वार कैम्प में उपस्थित ही थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की गलत रूप से उपस्थिति दर्ज की है। इसके अलावा प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था तो फिर अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुणो के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका पर नोन स्पीकिंग आर्डर पारित किया है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल तत्व प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु पर ना तो कोई विचार किया तथा ना ही उस पर अपना कोई मत ही व्यक्त किया। अतः अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि अपीलाट खसरा नम्बर 113 में 1/7 भाग के सहकृषक हैं जो उसने चरन सिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 11.06.2014 को क्रय किया है। रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में सभी सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि चूंकि अपीलांट को राजस्व लोक अदालत के कोई नोटिस का निर्वहन नहीं हुआ। अतः अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 08.11.2016 को उस समय हुयी जब रैस्पो0 ने विवादित आराजी पर अपीलाण्ट को जाने से रोका। तब नकल वगै0 आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे(22)2015 पेज 482, डीएनजे 2020(4) पेज 1236, आरआरटी 2021(1) पेज 533 का उद्धरण पेश किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की उपस्थिति में पारित हुआ है। जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण होना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.10.2014 अनुसार अपीलाण्ट प्रकरण में उपस्थित नहीं है। प्रकरण तलबी में विचाराधीन था। रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट के दाखिला खारिज को रोकने की गरज से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि विवादित आराजी का विक्रय स्वयं ने ही किया है एवं स्वयं दावा लेकर आये हैं। परन्तु प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बनती है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश उनकी बैक पर बिना सुने पारित हुआ है। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखने बाबत् कोई तामील शुदा नोटिस संलग्न नहीं है। अतः अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण प्रतीत होते हैं। लिहाजा हम अपील पेश करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाना उचित पाते हैं। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। जैसा कि उपर उल्लेखित किया गया है। अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखने बाबत् भी कोई नोटिस उपलब्ध नहीं है। आदेशिका दिनांक 07.10.2014 के अनुसार भी अपीलाण्ट प्रकरण में उपस्थित नहीं था। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने पारित हुआ है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लिये आवश्यक तीनो तत्वो प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन भी नहीं किया है जो प्रार्थना पत्र धारा 212

के निस्तारण के लिये आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.06.2015 अपास्त किये जाकर प्रकरण उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.11.2021

(आखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर